संख्या-13/2024/223/78-2-2024-ई-1780599

प्रेषक,

रवि रंजन,

विशेष सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्योग,

कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक:16 मार्च, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत ''शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-UPLC-PASoCORR(GOVT)/5/2023-PAS दिनांक 28-12-2023 तथा पत्र संख्या-UPLC-PASoCORR(GOVT)/5/2023-PAS दिनांक 01-02-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-आफिस प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक हार्डवेयर/साफ्टवेयर (रिसोर्सेज) इत्यादि के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत ''शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक,उद्योग,लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक,उद्योग,कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि आहरित कर स्टेट बैंक इण्डिया/राष्ट्रयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज आर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यों से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(9) प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) का आहरण कर, उसका व्यय ई-आफिस प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक हार्डवेयर/साफ्टवेयर (रिसोर्सेज) इत्यादि के क्रय के लिए उपयोग किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,निदेशक,उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग ई-आफिस प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक हार्डवेयर/ साफ्टवेयर (रिसोर्सेज) इत्यादि के क्रय हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(13) प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 , दिनांक 25.10.1983, शानसादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी का होगा।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(16) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

(17) वित्त (लेखा) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-11-2017 में वर्णित प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल-2016 के सुसंगत अंश-11.17 एवं 11.18 से प्रश्नगत प्रकरण आच्छादित है, का परीक्षण प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी स्व स्तर पर करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही अग्रिम धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना चाहेंगे।"

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**007** के अन्तर्गत 'लेखा शीर्षक-4859028001600 शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।